

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

8.20 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017 के ऋण का ब्याज भुगतान करने के लिये कुल राशि रुपये 28,70,00,000 की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

महामहिम राज्यपाल महोदय के उपयोग हेतु एक मारुति एस.एक्स.-04 एवं एक इंडिका वाहन क्रय किया जाना है जिसपर रुपये 12,43,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 12,43,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां (परामर्श सेवाये) हेतु स्वीकृत बजट के अतिरिक्त राशि रुपये 11.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3

प्रशासन अकादमी के अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां मद में स्वीकृत बजट से रुपये 5.06 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोकायुक्त के उपयोग हेतु एक वाहन क्रय करने के लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 8.46 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः राज्य की आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 8,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

राज्य सूचना आयोग के अन्तर्गत नियोक्ताओं के अंशदान के बकाया भुगतान हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 2.50 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सूचना प्रौद्योगिक संबंधी कार्य के लिये रुपये 9.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मद क्रमांक 1

गृह विभाग के अन्तर्गत गोपनीय सेवा मद में स्वीकृत बजट के अतिरिक्त रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-5

संचालक लोक अभियोजन के अन्तर्गत नव नियुक्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों के पदस्थापना होने के कारण 7 माह के व्यय हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे पर रुपये 228.65 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,28,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के लिये विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2071

मद क्रमांक 2

नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पूर्व वर्षों एवं वर्तमान में ब्याज राशि रुपये 10.00 करोड़ का भुगतान निधि प्रबंधक को किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के रिकार्ड कीपिंग के कार्य हेतु राशि रुपये 135.20 लाख का भुगतान एन.एस.डी.एल. को किया जाना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,35,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4885

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर को पूर्व में दिये गये ऋण को अंशपूजी में परिवर्तन करने हेतु रुपये 142.65 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति पुस्तकीय समायोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,42,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

विदेशी मदिरा के क्रय एवं भुगतान हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

देशी मदिरा स्पिरिट की खरीदने के लिये रुपये 20.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

प्रदेश में कृषकों को अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण किया जाना है। इस उद्देश्य हेतु रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिये नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडनाईजेशन प्रोग्राम (एन.एल.आर.एम.पी.) के तहत प्रदेश के 10 जिलों में डाटा सेंटर एवं राजस्व न्यायालयों की स्थापना के लिये रुपये 158.25 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,58,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 3

प्रदेश में नवीन 24 तहसीलों के गठन पश्चात् तहसीलदारों को प्रति तहसील के मान से जीप वाहन उपलब्ध करायी जानी हैं। अतः इस मद में रुपये 96.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 18

प्रदेश में 24 नवीन तहसीलों के गठन अंतर्गत सामग्री मद एवं वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 5,64,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 19

प्रदेश की 40 तहसीलों में कार्यालय भवन निर्माण किये जाने हेतु राशि रुपये 30,00,000 प्रति तहसील के मान से रुपये 12.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 09
मुख्य शीर्ष 2058

मद क्रमांक 1

नगरीय निकायों/तिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव प्रयोग में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री क्रय हेतु राशि रुपये 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 - 2

वन प्रशिक्षण केन्द्रों में नवनियुक्ति वन रक्षक एवं पदोन्नत वनपालों को प्रशिक्षित किया जाना है। तदनुसार यात्रा भत्ता और छात्रवृत्ति मद के अंतर्गत रुपये 81,30,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 81,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

क्षेत्रीय वन मण्डल योजनान्तर्गत चिकित्सा अग्रिम एवं अखिल भारतीय संवाओं के अधिकारियों के अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत रुपये 13,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 7

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की योजनान्तर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्ते के अंतर्गत रुपये 2,47,21,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,47,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 10

इन्टेंसीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत वनों में अग्नि सुरक्षा, मजदूरी, वाहनों का क्रय एवं मशीनें एवं संयंत्र मद में केन्द्रांश राशि रुपये 352.00 लाख तथा राज्यांश रुपये 118.00 लाख कुल रुपये 470.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 14

वन विभाग के अंतर्गत ईमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार योजना में मजदूरी, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, वाहन अनुरक्षण एवं अन्य प्रभार मद में रुपये 30,11,78,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,11,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 17

वन विभाग के अंतर्गत बांस के राजकीय व्यापार योजना में मजदूरी, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां एवं अन्य प्रभार मद के अंतर्गत रुपये 9,65,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

वन प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति की राशि दुगुनी करने के कारण इस मद रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19 - 24

महंगाई भत्ते एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्ते मद में कुल राशि रुपये 54,40,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1 - 2

शासन के सभी विभागों में सभी नियुक्तियों का विज्ञापन एक बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु बेबसाइट निर्माण का कार्य किया जाना है, जिस पर रुपये 30.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 3

प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत रुपये 1.29 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

लघु उद्योगों की संगणना अन्तर्गत रुपये 88,72,600 का व्यय विशेष सेवाओं के लिये मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय मदों में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,72,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 6

केन्द्रीय लागत पूंजी अनुदान योजना अन्तर्गत रुपये 8.37 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

टैरिफ अनुदान मद में विद्युत वितरण कंपनियों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु रुपये 66.73 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,73,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कृषकों के बकाया देयकों के निपटारे हेतु प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ दिये जाने पर रुपये 40.88 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 3

विद्युत वितरण कंपनियों के नगद प्रवाह को बनाये रखने के लिये कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण मद में रुपये 500 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

बीज ग्राम योजना अन्तर्गत राशि रुपये 34.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

मूल्य संवर्धन के लिये उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन देना है। इसके लिये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी उपकरणों का प्रदर्शन एवं अनुदान कृषकों को प्रदान किया जाना है। इस हेतु रुपये 45.81 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना हेतु रुपये 13.92 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संचालित आश्रम शालाओं में 1569 सीट्स वृद्धि की जाना है। इस हेतु रुपये 234.64 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति मांग संख्या 52 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,64,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

श्रम कल्याण निधि की स्थापना के अन्तर्गत अभिदाय की दरों में वृद्धि होने के कारण रुपये 20.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

नवजात शिशु रोगी चिकित्सा इकाई एवं आधुनिक लेबर रूम की स्थापना 21 जिलों में की जानी है। जिसके लिये एस.एन.सी.यू. एवं लेबर रूम में मशीन संयंत्र हेतु रुपये 872.55 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,72,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 2

नवजात शिशु रोगी चिकित्सा इकाई एवं आधुनिक लेबर रूम की निम्नानुसार 21 जिलों में स्थापना की जाना है, जिसके लिये पूंजीगत मद में राशि रुपये 1127.45 लाख की आवश्यकता है:-

1. अशोक नगर
2. शाजापुर
3. देवास
4. अलीराजपुर
5. बड़वानी
6. बुरहानपुर
7. धार
8. इंदौर
9. बैतूल
10. हरदा
11. राजगढ़
12. दमोह

13. पन्ना
14. सागर
15. बालाघाट
16. उमरिया
17. डिंडोरी
18. अनूपपुर
19. रीवा
20. सीधी
21. सिंगरोली

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,27,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

स्वास्थ्य विभाग के 21 जिला चिकित्सालयों के भवनों के उन्नयन/निर्माण पर रुपये 42.00 लाख का व्यय होना संभावित है, जिसकी पूर्ति विभागीय बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	20
मुख्य शीर्ष	2215

मद क्रमांक 1

न्यायालयीन प्रकरणों में डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4210
-------------	------

मद क्रमांक 2

मेडिकल कालेज जबलपुर की सीवेज लाईन के निर्माण में रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4215
-------------	------

मद क्रमांक 3

प्रदेश में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के विस्तार हेतु निर्मांकित 6 योजनायें निर्मित की जानी प्रस्तावित है:-

क्र.	ग्राम/योजना का नाम	जिला
1.	पानखेड़ी (कालापीपल) नलजल योजना	शाजापुर
2.	लालबरा के 101 ग्रामों की समूह योजना	बालाघाट
3.	नर्मदा नदी पर पेयजल प्रदाय हेतु डी.पी.आर. आदि बनाये जाने की योजना	देवास-शाजापुर-उज्जैन
4.	महू तहसील के 51 ग्रामों हेतु चोरल बांध पर आधारित समूह जल प्रदाय योजना	इंदौर
5.	छपारा आवर्धन जल प्रदाय योजना	सिवनी
6.	नसरुल्लागांज के ग्रामों हेतु नर्मदा नदी आधारित समूह नल जल योजना	सीहोर

इस हेतु कुल रुपये 9.25 लाख की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था विभाग द्वारा बजट में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
-------------	----

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 1

शौर्य स्मारक के निर्माण हेतु रुपये 8.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विभागीय कार्यकलापों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिये किराये पर वाहन लिये जाने हेतु रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 2

भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के स्थल की तरफ प्रवाहित होने वाले नालों को अन्यत्र डायवर्ट करने हेतु रुपये 2.50 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

बरियापुर परियोजना के वृहद निर्माण कार्य में रुपये 3163.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 2

नाबार्ड योजना अन्तर्गत संजय सागर (वाह तालाब) के निर्माण कार्यों में रुपये 4800.00 लाख अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ए.आई.बी.पी. योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सगड़ (महान) परियोजना के लिये रुपये 1425.00 लाख की राशि का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

बघरु मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में रुपये 100.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु रुपये 160.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

गरेठा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु रुपये 133.86 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,33,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

मद क्रमांक 7

बाढ़ नियंत्रण के निम्नांकित निर्माण कार्य कराये जाने हैं:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
1.	सीहोर	नीलकण्ठ घाट	93.00	100
2.	सीहोर	जावर (नेवज)	96.00	100
3.	सीहोर	बाजुदेव घाट	51.03	100
4.	सीहोर	इटावा (रेहटी) घाट	47.14	100
5.	सीहोर	होलीपुरा घाट	39.05	100
योग			326.22	500

उक्त कार्यों पर रुपये 326.22 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

राज्य मार्ग के दायित्वों के भुगतान हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है। उक्त व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सतना जिगनहटा मार्ग के कि.मी. 5/2-4 में सतना नदी पर पुल निर्माण हेतु राशि रुपये 1,92,80,000 की आवश्यकता है। उक्त व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत पुलों के निर्माण में रुपये 2000.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
1.	दमोह	तेन्दूखेड़ा तारादेही (दमोह) महाराजपुर देवरी (सागर) मार्ग	36.80	2493.42	100
2.	शाजापुर	जतारा जोड़ कालापपील मगरखेड़ी चांदबाद मार्ग का उन्नयन	34.65	2889.45	100

3.	सतना	नागोद उचैरा मार्ग	33.00	2479.90	100
4.	सतना	रामपुर-अमरपाटन मार्ग	25.50	1556.48	100
5.	सिवनी	केवलारी उगली सरेखा मार्ग	23.00	2137.39	100
6.	विदिशा	बासोदा सिरोंज मार्ग	40.40	3123.43	100
7.	सीहोर	सीहोर बिलकिसगंज मार्ग	36.50	2202.30	100
8.	नरसिंहपुर	मूंगवानी गोरखपुर मार्ग	15.00	795.07	100
9.	उज्जैन	घोसला-महीदपुर-गोगापुर मार्ग	46.60	3559.11	100
10.	देवास	देवली चौबारा, धीरा, इकलेरा माताजी, सुरेजना, पीपलरावां मार्ग	21.50	1442.07	100
11.	देवास	पीपलरावन-इलासखेड़ी-बलोन-बिरगोद बेरछा मार्ग	17.00	1179.78	100
12.	गुना	अनार्द से निहालदेवी मार्ग	48.00	2481.99	100
13.	धार-इंदौर	मानपुर-बागड़ी मार्ग	26.83	2683.23	100
14.	नरसिंहपुर	सबमर्सिवल ब्रिज ओवर नर्मदा रिवर एट ककराघाट, कि.मी. 14/10 में गाडरवाड़ा-तेन्दूखेड़ा मार्ग	0.00	1656.98	100
15.	गुना	अवान रोड़ (जंजाली) से मकसूदनगढ़ रोड़	39.00	4162.52	100

योग 34843.12 1500

उक्त कार्यों हेतु रुपये 3,48,43,12,000 का व्यय होना संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उज्जैन जिले के इंगोरिया-उन्हेल मार्ग को पूर्ण किये जाने के लिये (लंबाई 23.80 कि.मी.) राशि रुपये 2919.67 लाख की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राज्य में आवागमन की सुविधा हेतु निम्नांकित मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन कराया जाना है। व्यय की पूर्ति बजट की बचतों से की जावेगी।

कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (रुपये लाख में)	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
------	------	--------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------------

1.	सीहोर	दोराहा से अहमदपुर	16.00	885.26	100
2.	बड़वानी	दबाना लगनादौन राजपुर	21.00	960.00	100
3.	जबलपुर	पाटन पौड़ी	20.00	544.85	100
4.	शिवपुरी	नरवर से करेरा छितरी तिराहे तक	18.00	527.97	100
5.	शिवपुरी	भौराने से पोहरी	15.00	386.88	100
6.	शाजापुर	सुसनेर से पिड़ावा व्हाया पटपड़ा	15.50	592.86	100
7.	बुरहानपुर	जसौदी से कालीमाटी	15.00	825.00	100
8.	जबलपुर	शहपुरा चरगंवा	10.50	525.58	100
9.	इंदौर	बेटमा सागोर कुटी मुजिमा	27.00	860.57	100
10.	सिवनी	कहानी धूमा	21.00	936.00	100

11.	सागर	देवरी सहजपुर मार्ग	21.20	465.89	100
12.	सिंगरोली	चितरंगी गड़वा मार्ग	27.00	676.69	100
13.	रीवा	गोंबिदगढ़ टीकर लक्ष्मणपुर	17.40	306.00	100
14.	रीवा	सीतापुर बहेरा डाबर व्हाया टोपानदी हर्हाहा मार्ग	18.00	647.10	100
15.	विदिशा	कालादेव से दौरला सतगुरूनगर माता मूडडा	10.00	402.62	100
16.	खरगौन	बेडिया से पीपलगांव	18.00	998.91	100
17.	सिमरिया	सेमरिया हीनौती ककरेडी मार्ग का निर्माण	26.60	995.15	100

योग 317.20 10860.64 1700

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु रुपये 2000.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा निम्नांकित सड़कों के निर्माण में रुपये 1081.11 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई	लागत (लाख में)	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपयों में)
------	------	--------------	--------	----------------	--------------------------------------

1.	दतिया	राज्य मार्ग क्रमांक-19 के दतिया शहर के मार्ग के चौड़ीकरण (कि.मी. 70+250) से कि.मी. 76+80	5.75	991.69	100
2.	विदिशा	ब्यावरा-सिरोज राज्य मार्ग क्र. 14 के पैनेज 82+030 पर स्थित मोहिया नाले पर हाई लेवल पुल निर्माण	0.00	89.42	100

योग 1081.11 200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

बी.ओ.टी. योजना अन्तर्गत सतना चित्तकूट मार्ग राजमार्ग क्रमांक-11 लागत रुपये 124.24 करोड़ तथा उज्जैन-उन्हेल-नागदा-धिनौदा-जावरा मार्ग लागत रुपये 194.79 करोड़ एवं लेबड-नारायणपुरा-दिकथान-बिल्लोद-मानपुर लागत रुपये 218.41 करोड़ मार्गों के निर्माण में रुपये 537.44 करोड़ का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति विभागीय बचतों से की जावेगी। अन्य यूटीलिटी कार्यों हेतु रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

म.प्र. राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में स्वर्णिम मध्यप्रदेश समारोह राज्योत्सव के आयोजन के लिये रुपये 1.00 करोड़ का व्यय अतिरिक्त राशि के रूप में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रादेशिक एवं स्थानीय संग्रहालयों के विकास एवं विस्तार योजना अन्तर्गत देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर जिला खरगौन का सुदृढीकरण एवं विकास कार्य के लिये रुपये 10.00 लाख का व्यय अतिरिक्त राशि के रूप में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	27
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

मदरसा बोर्ड को प्रतिवर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि में से वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 11,00,000 प्रावधानित की गई थी, जो कि अपरिहार्य कारणों से बोर्ड को भुगतान नहीं की जा सकी। वर्ष 2008-09 में किये गये प्रशासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 11,00,000 शामिल किये जाने है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	30
मुख्य शीर्ष	4515

मद क्रमांक 1

ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के अन्तर्गत बिल्लौआ थाना से स्टील आथारिटी ऑफ इण्डिया की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट तक मार्ग के निर्माण हेतु रुपये 4.68 करोड़ व्यय होने की संभावना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	31
मुख्य शीर्ष	3451

मद क्रमांक 1 - 4

विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिये प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं प्रचार हेतु रुपये 450.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	33
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 46.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	34
मुख्य शीर्ष	2235

मद क्रमांक 1 - 24

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालयों को कक्षा 12 तक उन्नयन करने, एक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा 5 विद्यालय मानसिक रूप से अ विकसित बच्चों के शिक्षा हेतु स्थापित करने हेतु 263 नवीन पद सृजित किये गये हैं। जिसके लिये रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन के लिये प्रोत्साहन हेतु रुपये 18,40,32,000 अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,40,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिये हेल्प लाईन सेन्टर खोलने हेतु भारत सरकार से रुपये 27.25 लाख प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5475

मद क्रमांक 3

नापतौल विभाग की प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु इंदौर की द्वितीयक एवं कार्यकारी मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु रुपये 37,18,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपयोग हेतु खिलौनों का निर्माण करने के लिये अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को खिलौना निर्माण का प्रशिक्षण देने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 82,38,800 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,38,800/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 2

प्रदेश में फसलो उपरांत मूल्य संवर्धन के लिये उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालॉजी उपकरणों का प्रदर्शन एवं अनुदान पर कृषकों को प्रदाय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा रुपये 64.16 लाख की राशि केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत रुपये 10,20,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 3 - 7

आदिवासी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 8

आदिवासी क्षेत्रों में संचालित 126 छात्रावास व 151 आश्रमों में बाऊण्डीवाल एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, आश्रमों तथा विद्यालयों में मरम्मत एवं अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 10

आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 12.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 11

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिण्डोरी जिले की बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई योजना लागत रुपये 525.00 लाख का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 12

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
1.	उमरिया	घोघरी तालाब	749.34
2.	उमरिया	चिरहुला तालाब	222.50
3.	उमरिया	बोदली तालाब	563.00
4.	बड़वानी	डेब नदी पर श्रृंखलाबद्ध तीन बैराज	297.93
5.	बड़वानी	कुजरी तालाब	145.25
6.	झाबुआ	असालिया तालाब	278.94
7.	धार	कारम नदी पर 4 श्रृंखलाबद्ध बैराज	345.55
8.	खरगोन	मडई पीपरी तालाब	209.00
9.	झाबुआ	लाडकी बैराज	575.41
10.	रतलाम	कुण्डाल टेक	194.18
11.	बुरहानपुर	खकनार खुर्द तालाब	110.26
12.	बुरहानपुर	मांजरोद खुर्द तालाब	127.48
13.	बुरहानपुर	मोन्दरा तालाब	111.08
14.	बुरहानपुर	सावली तालाब	510.30
15.	खरगोन	खारक नदी पर श्रृंखलाबद्ध 2 स्टाँपडेम ग्रुप 1	440.52
16.	खरगोन	खारक नदी पर श्रृंखलाबद्ध 2 स्टाँपडेम ग्रुप 2	460.32

17. खरगोन	खारक नदी पर मदनीखुर्द स्टाँपडेम कम ब्रिज	445.13
18. खरगोन	नारायणी नदी पर तीन स्टाँपडेम कम ब्रिज	236.19
19. खरगोन	ईन्द्रवती नदी पर स्टाँपडेम	135.91
20. खरगोन	बोराड़ नदी पर डोगरगांव बैराज कम ब्रिज	429.48
21. खरगोन	बोराड़ नदी पर स्टाँपडेम की श्रृंखला	517.98
22. खरगोन	नारायणी नदी पर स्टाँपडेम कम ब्रिज	151.98
23. खरगोन	कालीकराय तालाब	599.72
24. बुरहानपुर	ईटारिया तालाब	784.94
25. खरगोन	पिछोटिया तालाब	522.51

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

केन्द्रीय सड़क निधि योजना अन्तर्गत निम्नांकित 9 कार्य रुपये 13169.05 लाख की लागत से निर्माण कराये जाने हैं। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत (राशि)
1	छिन्दवाड़ा	कुआंबादला से नादिया सांगा खेड़ा मार्ग	18.44	1194.06
2	मंडला	बिछिया समनापुर डिण्डोरी मार्ग	28.80	2065.34
3	डिण्डोरी	गाडासराई बजाग मार्ग	18.10	1815.64
4	झाबुआ	मेघनगर-कल्याणपुर-पेटलाबद मार्ग	35.05	2039.13
5	छिन्दवाड़ा	चौरापठार-धनेगांव-बड़खुडी जंक्शन मार्ग	11.34	970.09
6	छिन्दवाड़ा	हडई-गौरपानी मार्ग	18.00	1141.74
7	छिन्दवाड़ा	सीताडोगरी-ब्रहाणी मार्ग (कि.मी. 6 से 19)	14.00	826.35
8	छिन्दवाड़ा	खेरीखुर्द (रा.रा. 26 से) मोहगांव खुर्द साख बासखेड़ा रोड	18.00	1327.57
9	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा-उमरिया-बांकी-वेहरिया रोड	18.80	1789.13

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- प्रतीक के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित कार्यों का निर्माण कार्य कराया जाना है।

जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)
1. सतना	नागौद रहिकवारा सुरदहा	11.90	616.22
2. मण्डला	बिछिया दानीटोला	14.00	925.30
3. उमरिया	पाली डिंडौरी मार्ग	22.20	410.80
4. अनूपपुर	अनूपपुर चचाई	11.00	445.73
योग		59.10	2398.05

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्यों हेतु वर्ष में रुपये 22.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

केन्द्रीय सड़क निधि योजना अन्तर्गत निम्नांकित 2 कार्य रुपये 5337.40 लाख की लागत से निर्माण कराये जाने हैं। प्रथम किस्त के रूप में 1334.39 लाख की राशि निर्गमित की जानी है।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत (राशि)
1	बालाघाट	परसवाडा-लामता मार्ग	46.00	3179.08
2	बालाघाट	गढी मोती नाला मार्ग	20.70	2158.32

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,34,39,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना हेतु अधिग्रहित की गई अशासकीय भूमि का भुगतान संबंधितों को करने के लिये राज्य शासन द्वारा राशि रुपये 69,89,393 आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 69,89,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों को दिनांक 1.1.96 से दिनांक 31-3-2000 तक पांचवे वेतनमान का लाभ दिये जाने के कारण राशि रुपये 4.75 करोड़ का बजट प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राज्य स्तर के विश्व विद्यालय की स्थापना की जाना है।

प्रथम चरण में विश्व विद्यालय प्रारंभ करने हेतु अधोसंरचना विकास के लिये राशि रुपये 20.00 करोड़ का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रदेश के भूमियुक्त भवन विहीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि के लिये राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों का निर्माण कार्य कराया जाना है:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
1.	राजगढ़	सटन खेड़ी तालाब	103.32	100
2.	राजगढ़	जूनापानी तालाब	236.35	100
3.	राजगढ़	उण्डार घोथरा तालाब	228.88	100
4.	बैतूल	गोरेगांव जलाशय	235.97	100
5.	पन्ना	बधवार कला तालाब	330.27	100
6.	छिंदवाड़ा	टीनखेड़ा जलाशय	284.82	100
योग			1419.61	600

उक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2009-10 में रुपये 1419.61 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रुपये 9515.19 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	योजना का नाम	जिला/वि.ख.	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
1.	बहरी तालाब योजना	पन्ना/शाहनगर	531.80	100
2.	बरार नाला तालाब	पन्ना/शाहनगर	272.30	100
3.	भरतपुर तालाब	पन्ना/गुन्नौर	735.28	100
4.	जनकपुर तालाब	पन्ना/गुन्नौर	226.58	100
5.	सबदुआ तालाब	पन्ना/गुन्नौर	283.37	100
6.	रमखिरिया तालाब	पन्ना/पवई	206.95	100
7.	झाली तालाब	पन्ना/पवई	549.05	100
8.	पटी तालाब	पन्ना/शाहनगर	701.88	100
9.	खोरा तालाब	पन्ना/शाहनगर	217.48	100
10.	भैंसाडोल तालाब	पन्ना/पवई	581.09	100
11.	गिटपिटा तालाब	पन्ना/पवई	260.26	100
12.	मंगला तालाब	पन्ना/शाहनगर	289.72	100
13.	कोहाडोल तालाब	पन्ना/शाहनगर	239.43	100
14.	गजंदा तालाब	पन्ना/शाहनगर	256.85	100
15.	गिरवारा तालाब	पन्ना/गुन्नौर	165.50	100
16.	नादन तालाब	पन्ना/पवई	329.64	100
17.	घाट पिपरिया बैराज	दमोह/दमोह	338.56	100
18.	गोपालपुरा बैराज	दमोह/दमोह	266.31	100
19.	रियाना जलाशय	दमोह/दमोह	188.50	100

20. टिकारी (सिंगपुर) जलाशय	दमोह/दमोह	124.32	100
21. खमखेरा जलाशय	दमोह/दमोह	401.76	100
22. इमलिया नायक जलाशयदमोह/दमोह		179.90	100
23. हनुमत डोगरी जलाशय	दमोह/दमोह	245.69	100
24. मड़िया जलाशय	दमोह/दमोह	104.24	100
25. तेलीगांव तालाब योजना	गुना/चाचोड़ा	113.99	100
26. पाटनकला बैराज	राजगढ़/राजगढ़	197.37	100
27. मोर पीपली तालाब	राजगढ़/राजगढ़	204.36	100
28. कुंडीव	राजगढ़/राजगढ़	161.42	100
29. कराड़िया बैराज	राजगढ़/राजगढ़	109.92	100
30. छान बैराज	राजगढ़/राजगढ़	196.73	100
31. कराड़खेड़ा	राजगढ़/राजगढ़	215.12	100
32. नलखेड़ा बैराज	राजगढ़/राजगढ़	117.39	100
33. कलीखेड़ा बैराज	राजगढ़/राजगढ़	107.47	100
34. रजूर क्रमाक-2 तालाब	खरगौन	116.59	100
35. इंदौर तालाब	अशोकनगर	278.38	100

योग 9515.19 3500

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं हेतु राशि रुपये 2600.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लघु एवं लघुतम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य में रुपये 40.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 61.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 61,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

वर्ष 2009 में द्वितीय भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन दिनांक 1 से 8 दिसम्बर, 2009 को देवी अहिल्या विश्वद्यालय, इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अक्षय विकास हेतु हरित प्रौद्योगिकी है। भारतीय विज्ञान सम्मेलन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद के मुख्य भवन एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, डबरा के भवन निर्माण कार्य के लिये राशि रुपये 380.75 लाख तथा राशि रुपये 999.00 लाख आकलित है, जिसके प्रथम चरण में राशि रुपये 31.00 - 31.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जाएगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 1

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में बाह्य पोषित परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में रुपये 20.00 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 2

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 19.20 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 6

रेशम संचालनालय में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्ते के आहरण हेतु रुपये 5,30,000 की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58
मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

भारत सरकार गृह मंत्रालय नेशनल प्रोग्राम फार कैपेसिटी बिल्डिंग आफ आर्किटेक्ट इन अर्थ क्लेम रिस्क मैनेजमेंट योजना के अन्तर्गत आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिये भारत सरकार से राशि रुपये 6,45,600 प्राप्त हुई है, जिसका व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,45,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60
मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 1

जनभागीदारी योजनान्तर्गत ग्वालियर में मुरार नदी पर रुपये 176.20 लाख की लागत से एक पुल का निर्माण किया जाना है। इसमें शासकीय अंशदान के रूप में जनभागीदारी से एकत्र राशि के समतुल्य रुपये 0.76 करोड़ की राशि विभागीय बचत से उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार रविन्द्र नाट्य

गृह, इंदौर का जीर्णोद्धार जन सहयोग से किया जा रहा है। रुपये 480.00 लाख की लागत के इस कार्य में से 346.00 लाख का कार्य किया जा चुका है। शेष रुपये 134.00 लाख के कार्य हेतु जनभागीदारी योजना अन्तर्गत शासन अंशदान रुपये 100.00 लाख दिया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केन्द्रीय अंश रुपये 962.39 लाख तथा राज्यांश रुपये 316.98 लाख के लिये विभागीय बचत से व्यय किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,62,39,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना में राशि रुपये 23.29 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राशि रुपये 892.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिये चलाई जा रही फ्री कोचिंग एण्ड एलाईड स्कीम अन्तर्गत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्राप्त राशि रुपये 5.77 लाख का बजट में प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,77,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

प्रदेश में फसलो उपरांत मूल्य संवर्धन के लिये उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालॉजी उपकरणों का प्रदर्शन एवं अनुदान पर कृषकों को प्रदाय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत रुपये 8,15,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 2 - 6

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 1.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 7

ग्वालियर जिले में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम एवं छात्रावास की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु रुपये 710.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु रुपये 710.00 लाख का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 7,10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 8

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है, राशि योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जायेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
1.	विदिशा	अमाझार बैराज	211.30
2.	विदिशा	गजार बैराज	308.12
3.	विदिशा	खम्बूखेड़ी पिकअप बैराज	247.47
4.	विदिशा	इकोदिया बैराज	199.95
5.	विदिशा	सेहजाखेड़ी बैराज	116.88
6.	भोपाल	खजूरघाट बैराज	130.33
7.	भोपाल	दोजयाई बैराज	125.78
8.	भोपाल	मजीद गढ़ बैराज	115.15
9.	भोपाल	बरखेड़ा कला बैराज	116.38
10.	भोपाल	अमरपुर डोगर गांव बैराज	109.48
11.	भोपाल	बेरखेड़ी बन्दरवा बैराज	103.57
12.	भोपाल	मानपुरा बैराज	116.55

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 10

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित कार्यों का निर्माण कार्य कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	
1.	उज्जैन	बड़नगर से सादलपुर	30.00	980.00
2.	विदिशा	गुलाबगंज मुंगवारा कि.मी. 2/6 से गुलाबगंज अण्डिया मार्ग तक	8.00	337.70
3.	विदिशा	गुलाबगंज इकोदिया के ग्राम इकोदिया से खजूरिया खेड़ा कबरूआ रुसाली धतुरिया खजूरी रकोली से गुलाबगंज गजार मार्ग	20.50	860.47
योग		58.50	2178.17	

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 1

निम्नांकित जिलों में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में रुपये 1124.74 लाख का व्यय होना संभावित है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	वर्ष 09-10 में संभावित व्यय
1.	ग्वालियर	जयरोग्य चिकित्सालय ग्वालियर के परिसर में 1000 बिस्तर का अस्पताल भवन निर्माण, लागत रुपये 11680.00 लाख	100.00
2.	ग्वालियर	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में कार्डियोलाजी विभाग का भवन निर्माण, लागत रुपये 248.00 लाख	100.00
3.	जबलपुर	मेडिकल कालेज जबलपुर में परीक्षा हाल का निर्माण, लागत रुपये 52.00 लाख	20.00
4.	इंदौर	कन्या छात्रावास का भवन निर्माण	40.00
5.	इंदौर	1000 सीट्स का आडिटोरियम निर्माण	10.00
6.	इंदौर	छात्रावास 100 सीट्स का भवन निर्माण	200.00
7.	इंदौर	07 डिमांसट्रेशन हाल 75 सीट्स तथा 07 प्रयोग शाला 50 सीट्स एवं 02 लेक्चरर हाल का भवन निर्माण	125.00
8.	ग्वालियर	जे.ए.एच. परिसर ग्वालियर में 100 बिस्तरों का कन्या छात्रावास भवन निर्माण	75.00
9.	ग्वालियर	एक छात्रावास भवन निर्माण	4.74
10.	जबलपुर	01 मरच्युरी भवन का निर्माण	150.00
11.	जबलपुर	ग्रंथालय भवन निर्माण	100.00
12.	भोपाल	अतिरिक्त तल निर्माण	75.00
13.	भोपाल	ओ.पी.डी. ब्लॉक (टीचिंग एरिया, आई.सी.सी.यू. रुम, प्रयोगशालायें एवं डिमांसट्रेशन कक्ष का निर्माण)	25.00
14.	रीवा	संजय गांधी चिकित्सालय रीवा के अधूरे भवन का निर्माण	100.00

योग 1124.74 लाख

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,24,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

भोपाल गैस त्रासदी की 25 वीं बरसी का कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 21,50,000 का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 21,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत सायकिल रिक्शा एवं हाथठेला वितरण हेतु रुपये 10.00 करोड़ का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कर की जानी है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 76

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

ए.डी.बी. वित्त सहायता अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु रुपये 63.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। उक्त व्यय की पूर्ति मांग संख्या-59 एवं मांग संख्या-22 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 201 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु कुल राशि 23,38,50,000 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,38,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

33 माडल स्कूलों की स्थापना हेतु कुल राशि रुपये 1,00,32,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 11.29 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 78

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

माईक्रोइरिगेशन योजना अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में रुपये 12.49 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,49,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	79
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उदर रोग विभाग से संबंधित व्ययों हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में स्थापित ट्रामा यूनिट के उन्नयन अन्तर्गत उपकरण क्रय हेतु रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

गांव की बेटी योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

ग्रीन कार्डधारी योजना के संचालन हेतु रुपये 150.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4210
-------------	------

मद क्रमांक 5

चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में न्यूरोलाजी/न्यूरोसर्जरी विभाग के अन्तर्गत उपकरण क्रय हेतु रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कार्डियोलाजी विभाग के निर्माण हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु रुपये 203.95 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,03,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उदर रोग विभाग के उपकरण क्रय हेतु रुपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर कार्डियोलाजी विभाग के निर्माण, उपकरण क्रय रुपये 472.78 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,72,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

भोपाल में निर्माणाधीन एम्स से संबंधित विद्युत कार्यों के लिये रुपये 416.96 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,16,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु राशि रुपये 5,57,38,000 की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,57,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 2

पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के हिस्से की अंतरित होने वाली राशि मद में रुपये 1,99,31.00 लाख अतिरिक्त दी जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।